संख्या-सामान्य-1/2019/705/12-6-2019-10/2011

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-6 लखनऊः दिनॉक 15 नवम्बर, 2019

<u>विषय- "किसान दिवस" आयोजित करने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के किसानों को जागरूक करने हेतु प्रत्येक माह के तृतीय बुधवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में "किसान दिवस" जनपद स्तर पर मनाये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत कृषि विभाग के शासनादेश संख्या-9/2015/255/12-6-2015-10/2011, दिनांक 10 जून, 2015 को अवक्रामित करते हुए "किसान दिवस" आयोजित किये जाने का स्वरूप निर्धारण निम्नवत किया जाता है :-

1. प्रदेश के किसानों की कृषि से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक माह के तृतीय बुद्धवार को जिला मुख्यालय के नजदीक स्थित कृषि विज्ञान केन्द्रों को केन्द्र बिन्दु बनाते हुए यथासम्भव इन केन्द्रों पर ही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उनका आयोजन कराया जाए जिससे वहां पर विकसित की जा रही तकनीकी व उन्नतशील प्रक्रियाओं का किसान उपयोग करें। जिन जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र जनपद मुख्यालय के पास उपलब्ध न हों उन जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय पर उपलब्ध किसी उपयुक्त स्थल पर बैठक आयोजित की जाए।
2. जिलाधिकारी की व्यस्तता की स्थिति में ये बैठकें मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जाए ।
3. इन बैठकों में इस बिन्दु पर बल दिया जाए कि किसानों द्वारा प्रयोग की जाने वाली खाद की मात्रा उनकों उपलब्ध कराए गए **स्वाईल हेल्थ कार्ड** के निष्कषों के आधार पर ही होनी चाहिए।
4. किसान दिवस में कृषि क्षेत्र से जुडे हर विभाग के समस्त अधिकारी जिसमें सिंचाई, उर्जा एवं कृषि उत्पादन शाखा से जुडे विभाग जैसे-कृषि, उद्यान, सहकारिता, मत्स्य, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, गन्ना एवं रेशम विभागों के अधिकारियों के अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक, लीडबैंक मैनेजर तथा इन्श्योरेन्स कम्पनी के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाय।
5. बैठक में कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों/अन्य कृषि वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित किया जाय।
6. बैठक में जनपद के कृषक प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाय।
7. प्रगतिशील कृषकों को भी आमंत्रित किया जाय, ताकि अपने-अपने गॉवों की समस्याओं को बैठक में रख सके, जिससे समस्याओं का समाधान मिलने के उपरान्त उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर सकें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. समस्याओं के निदान के अतिरिक्त बैठक में उपस्थित अधिकारियों/विशेषज्ञों द्वारा उपस्थित किसानों को निम्न लिखित जानकारियॉ भी उपलब्ध करायी जायें-

1) कृषको की आय बढ़ाने के उपाय जिनमें रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का संस्तुत एवं संतुलित प्रयोग पर बल दिया जाए। कृषि विपणन के सम्बन्ध में भी उपयोगी जानकारी उपलब्ध करायी जाए।

2) एकीकृत रूप से कृषि एवं अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी।

3) मिलियन फार्मर्स स्कूल एवं "वैज्ञानिकों की बात किसानों के साथ" कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी दी जाए। एकीकृत खेती एवं सह-फसली खेती पर बल दिया जाए।

4) किसानों के लाभ के लिए संचालित योजनाओं में दी जा रही सुविधाओं की विस्तृत जानकारी।

5) किसानों को अनुदान पर कृषि निवेश एवं अन्य उपकरणों की जानकारी।

6) संचालित योजनाओं के लाभार्थियों के चयन प्रक्रियॉ संबंधी जानकारी।

7) किसानों को विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के लाभों से अवगत कराना।

8) जनपद में आयोजित की जा रही कृषि प्रदर्शनियों/मेलों के आयोजन की जानकारी।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या-1/2019/सामान्य-705/12-6-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- समस्त सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7- विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
8- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपद के समस्त विभागीय अधिकारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश अपने स्तर से जारी करे।

आज्ञा से,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।